संख्याः– 3233 / III (2)/08–49(प्रा0आ0)/2004

प्रेषक,

प्रदीप सिंह रावत,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

मुख्य अभियन्ता स्तर-1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 0 / अक्टूबर, 2008

विषयः– महामहिम श्री राज्यपाल आवास के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2008–09 में धनावंटन।

महोदय,

महामहिम श्री राज्यपाल आवास के निर्माण हेतु रू0 461.00 लाख के टी.ए.सी. द्वारा अनुमोदित कार्य के विपरीत वित्तीय वर्ष 2005–06 में शासनादेश संख्या–828/III(2)/06–49(प्रा.आ.)/04, दिनांक 28.03.06 के द्वारा रू01.00 लाख तथा वित्तीय वर्ष 2006–07 में शासनादेश संख्या 2646/III(2)/06–49 (प्रा.आ.)/04, दिनांक 12.09.2006 के द्वारा रू0 451.00 लाख की धनराशि अवमुक्त कर आपके निर्वतन पर रखते हुये सम्पूर्ण धनराशि के व्यय की अनुमति प्रदान की गयी थी। इसी कम में आपके पत्र संख्या-1328/42बजट(राज्य सम्पत्ति कार्य –आयोजनेत्तर)/07–08; दिनांक 04.06.2007 द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष रू0 51.00 लाख का उपयोग किया गया है।

इस संबंध में आपके पत्र दि0 04.06.2007 तथा उपरिउल्लिखित शासनादेशों के कम में शासनादेश सं0–1858/III–2/07–49(प्रा0आ0)/2004 दिनांक 10 अगस्त, 2007 के द्वारा जनपद देहरादून में महामहिम श्री राज्यपाल आवास के निर्माण हेतु अनुमोदित लागत रु0 461.00 (रु0 चार करोड़ इकसठ लाख मात्र) के विरुद्ध अवशेष धनराशि रू0 410.00 लाख (रु0 चार करोड़ दस लाख मात्र) की धनराशि वितीय वर्ष 2007–08 में व्यय किये जाने की अनुमति प्रदान की गई थी ।

वित्तीय वर्ष 2007–08 में अवमुक्त धनराशि रू0 410.00 लाख के सापेक्ष रू0 210.00 लाख ही व्यय किये जाने पर अवशेष धनराशि रु0 200.00 लाख का समर्पण आपके पत्र सं0–10022/23 बजट(बा0वि0आ0–भवन कार्य)/2007–08 दिनांक 31.3.2008 के द्वारा किये जाने से अवगत कराया गया है। तत्पश्चात् निर्माण कार्य की अच्छी प्रगति को दृष्टिगत रखते हुए अवशेष धनराशि रु0 200.00 लाख अवमुक्त किये जाने संबंधी आपके पत्र सं0–2572/23 बजट(बा0वि0आ0–भवन कार्य)/2008–09 दिनांक 9.7.2008 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद देहरादून में महामहिम श्री राज्यपाल आवास के निर्माण हेतु अनुमोदित लागत रु0 461.00 (रु0 चार करोड़ इकसठ लाख मात्र) के विरुद्ध अवशेष धनराशि रू0 200.00 लाख (रू0 दो करोड़ मात्र) की धनराशि की वित्तीय वर्ष 2008–09 में व्यय किये जाने की अनुमति श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

2– स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31.03.2009 तक किया जायेगा तथा धनराशि का उपयोग निश्चित समय सीमा के अन्तर्गत न करने पर संबंधित अधिशासी अभियन्ता का पूर्ण उत्तरदायित्व होगा। कोई धनराशि यदि दिनांक 31–03–08 तक अवशेष रहती है तो इसका समर्पण विगत वर्षों की भांति न कर समयान्तर्गत विभागाध्यक्ष के माध्यम से ही शासन को किया जायेगा, ऐसा न करने पर इसे गम्भीरता से लिया जायेगा और संबंधित अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। धनराशि स्वीकृत होने के बाद समय से समर्पित/उपयोग करने का दायित्व भी इस हेतु उत्तरदायी अधिकारी का ही बनता है।

3– निर्माण कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाय।

4– शेष शर्तें शासनादेश संख्या–828/III(2)/06–49(प्रा.आ.)/04 दिनांक 28.03.06 एवं शासनादेश संख्या 2646/III(2)/06–49 (प्रा.आ.)/04, दिनांक 12.09.2006, शासनादेश सं0–1858/III(2)/07–49(प्रा0आ0) 2004 दिनांक 10 अगस्त 2007 एवं शासनादेश सं0–1858/III–2/07–49(प्रा0आ0)/2004 दिनांक 10 अगस्त, 2007 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार यथावत रहेंगी।

5– उक्त निर्माण कार्य अनुमोदित लागत रू0 461.00 लाख की सीमा के अन्दर पूर्ण किया जाय तथा इस संबंध में पुनरीक्षित आगणन स्वीकार नही किया जाय।

6– इस संबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2008–2009 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–07 लेखाशीर्षक–4059 लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय–80 सामान्य–आयोजनागत–800–अन्य भवन–01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनायें–01–12 वें वित्त आयोग के अन्तर्गत राज्य अवस्थापना विकास–24 वृहत्त निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

7. **यह आदेश वित्त अनुभाग–2 के अशासकीय संख्या–यू.ओ.– 717/XXVII(2)/2008 दिनांक 25 सितम्बर, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।**

भवदीय,

(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव

संख्याः– 3233 (1)/III (2)/08–49(प्रा0आ0)/2004, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित –

1– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2– महालेखाकार (लेखा प्रथम) ओबरॉय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
3– निदेशक, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, फाइनेन्स कमीशन डिविजन, 11 ब्लाक 5वाँ तल, सी. जी.ओ. काम्पलेक्स, लोधी रोड नई दिल्ली।
4– सचिव, श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड।
5– आयुक्त गढवाल मंडल, पौंडी।
6– अपर सचिव वित्त (बजट) अनुभाग उत्तराखण्ड।
7– जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
8– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
9– मुख्य अभियन्ता, गढवाल क्षेत्र, लो0नि0वि0, पौंडी।
10– अधीक्षण अभियन्ता नवां वृत्त लो0नि0वि0 देहरादून।
11– निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड शासन।
12– वित्त अनुभाग–2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन
13– लोक निर्माण अनुभाग–1/3 उत्तराखण्ड शासन/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(महिगा)
अनु सचिव